भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1862

दिनांक 14.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन

1862. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:
श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) के उद्देश्यों को हासिल कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ख) जेजेएम को कार्यान्वित करने के दौरान सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान जेजेएम के अंतर्गत महाराष्ट्र में ग्रामीण अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा) के कितने परिवारों को जेजेएम के अंतर्गत पीने योग्य नल से जल उपलब्ध कराया गया है;

(घ) जेजेएम के कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण के दौरान गांवों को शामिल करने के लिए किन मापदंडों पर विचार किया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार ने समयबद्ध तरीके से जेजेएम के कार्यान्वयन की प्रविधियों के संबंध में राज्यों और विभिन्न हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है और तत्संबंधी परिणाम क्या हैं; और

(च) देश विशेषकर महाराष्ट्र में दूरदराज के ग्रामीण और अजा/अजजा के ऐसे परिवारों की अनुमानित संख्या कितनी है, जिन्हें अब तक जेजेएम के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री राजीव चन्द्रशेखर)

(क): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित तथा पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में महाराष्ट्र

सहित राज्यों की भागीदारी से कार्यान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरूआत की। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

देश में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण परिवारों के लिए नल जल की सुविधा का विस्तार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरूआत के समय, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, दिनांक 11.12.2023 तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, लगभग 10.54 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 11.12.2023 तक, देश के 19.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 13.78 करोड़ (71.62%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति उपलब्ध होने की सूचना है।

(ख): जल-संकट वाले क्षेत्रों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी, भूजल में भू-जनित संदूषकों की उपस्थिति, असमान भौगोलिक इलाके, दूर-दूर बसी ग्रामीण बसावटें, गांव में जल आपूर्ति संबंधी बुनियादी ढांचे का प्रबंधन और संचालन करने के लिए स्थानीय ग्राम समुदायों की क्षमता में कमी आदि, मिशन के कार्यान्वयन में सामना की जा रही कुछ चुनौतियां हैं।

(ग) और (घ): जल जीवन मिशन, दूरदराज ग्रामीण परिवारों सहित सभी ग्रामीण परिवारों को कवर करने के लिए एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण का पालन करता है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत, 'कोई भी वंचित न रहे' के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए महाराष्ट्र के सभी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ग्रामीण परिवारों सहित प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए नल जल आपूर्ति की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों, मरूभूमि और सूखा प्रवण क्षेत्रों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गांवों, आकांक्षी और जेई-एईएस प्रभावित जिलों, सांसद आदर्श ग्रामीण योजना गांवों आदि में नल जल आपूर्ति की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में अपने घरों में नल जल आपूर्ति की सुविधा प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

(संख्या लाख में)

वित्त वर्ष	**उपलब्ध कराए गए पारिवारिक कनेक्शनों की संख्या**
2020-21	37.15
2021-22	10.65
2022-23	9.06
2023-24*	10.79

*11.12.2023 तक

(ङ): जेजेएम की घोषणा के बाद, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण जल आपूर्ति के प्रभारी मंत्रियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसके बाद पांच क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था, जिनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा जल क्षेत्र में काम करने वाले अन्य हितधारकों को शामिल किया गया था ताकि मिशन कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर चर्चा की जा सके और साथ ही कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों को सुदृढ़ बनाया जा सके। संबंधित मंत्रालयों सहित विभिन्न हितधारकों से प्राप्त जानकारी की जांच की गई और जो सरकार के अनुमोदन के अनुरूप पाई गई, उसे जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देश तैयार करते समय शामिल किया गया है तथा ये दिशानिर्देश 25 दिसंबर, 2019 को जारी किए गए हैं।

(च): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, महाराष्ट्र सहित देश में नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाने वाले शेष परिवारों की संख्या लगभग 5.46 करोड़ है। इसके अलावा, जेजेएम-आईएमआईएस पर राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 11.12.2023 तक, महाराष्ट्र में कुल 146.73 लाख ग्रामीण परिवारों में से 120.65 लाख (82.23%) परिवारों में नल जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र में शेष परिवारों की संख्या 26.08 लाख है। अतः, भारत सरकार के स्तर पर सुदूर ग्रामीण और एससी/एसटी परिवारों की जानकारी नहीं रखी जाती है।

*****